संख्या– 23 / XVIII-(2) / 2006

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 21 जनवरी, 2006

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 647 / 13–27(2004–2005) दिनांक 16.12.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विकास खण्ड भिलंगना के अंतर्गत मा नन्दा देवी मार्ग पर सुरक्षा दीवार के पुर्ननिर्माण के रू0 0.81 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रू0 75,000 / – (रू0 पिचहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छोदित है। सूची में जो कार्य नये हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

नराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 36/वित्त अनु0 5/2006 दिनांक 19.01.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
4– कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
7– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–5।
10– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या–34 /XVIII-(2)/2006

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2006

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–508/तेरह–15(2001–02) दिनांक 02.01.2003 एवं प.सं.– 273/तेरह–15(2001–02) दिनांक 29.10.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु 8 कार्यो के रू0 12.28 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार संलग्न विवरणानुसार रू0 5,73,000/– (रू0 पांच लाख तिहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की स्वीकृति भी श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हों उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको

सनायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 45/वित्त अनु0 5/2006 दिनांक 23.01.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
4– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
7– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–5,
10– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या–58 /XVIII-(2)/2005

प्रेषक,

वी. के. पाठक
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2006

विषयः– जनपद हरिद्वार में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–839/सी.आर.ए.–दै0आ0 दिनांक 2.9.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के लक्शर क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कर्णपुर के दक्षिण में कश्यपों से होकर मथाना से ढाढेकी तक मार्ग के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु रू0 16.61 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रू0 16,03,000/– (रू0 सोलह लाख तीन हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसका समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 44/वित्त अनु0 5/2005 दिनांक 21.01.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
4– कोषाधिकारी, हरिद्वार।
5– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
7– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–5,
10– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या– 59 /XVIII-(2)/2005

प्रेषक,

वी. के. पाठक
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2006

विषयः– जनपद उधमसिंहनगर क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1254/XVIII-(2)/2005 दिनांक 03.01.2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उधमसिंहनगर के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु रू0 73.76 लाख की धनराशि स्वीकृति की गई थी। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–6 पर कार्यदायी संस्था नगर पालिका परिषद् बाजपुर एवं बिन्दु संख्या–9 पर निर्माण एजेन्सी नगर पालिका परिषद् जसपुर त्रुटिवश टंकित हो गया था, जिसके स्थान पर कार्यदायी संस्था/निर्माण एजेन्सी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर पढ़ा जाय।

2– उक्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2006 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
4– कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
7– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–5,
10– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11– गार्ड फाइल।

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

Genral letter-I